

**Revised Annual fee of PEOPLES DENTAL ACADEMY and PEOPLES COLLEGE OF DENTAL SCIENCE,
BHOPAL as per MPPURC letter no- 372/M.P.P.U.R.C./2019 Dated:- 12/04/2019
(Date:- 12-04-2019)**

S. No.	Subject Name	SESSION 2019-20 (Annual Fee)	Annual NRI Fee
1	Pedodontics	522000	1566000
2	Periodontology	522000	1566000
3	Oral Medicine and Radiology	300000	900000
4	Oral Pathology	300000	900000
5	Conservative and Endodontics	522000	1566000
6	Oral Surgery	522000	1566000
7	Orthodontics	522000	1566000
8	Prosthodontics	522000	1566000
9	Public Health Dentistry	300000	900000



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्रमांक 372/म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग/2019
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/4/2019

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
संचालनालय, सतपुड़ा भवन,
भोपाल ।

विषय:-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के आगामी ब्लॉक अर्थात 2019-20 के शुल्क विनियमन की संशोधित जानकारी बाबत।
संदर्भ:-1. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पत्र क्र 543/मप्रनिविविआयोग/2019 दि.02/03/2019
2. कार्यालय, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र 608/4/पीजी/संचिशि/2019दि.13.03.19

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में आयोग द्वारा की गई फीस समीक्षा के अनुसार पीपुल्स विश्वविद्यालय में दंत चिकित्सा संकाय के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एमडीएस की फीस भेजी गई थी। तकनीकी त्रुटी के कारण एमडीएस के समस्त पाठ्यक्रमों की फीस रु. 3.00 लाख उल्लेखित हो गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि एमडीएस के समस्त पाठ्यक्रमों की फीस रु. 3.00 लाख नहीं है, अपितु एमडीएस के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों मात्र का शुल्क रु. 3.00 लाख है:-

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क (रु. लाख में)
1.	MDS (Public Health Dentistry)	3.00
2.	MDS (Oral Medicine & Radiology)	3.00
3.	MDS (Oral Pathology & Microbiology)	3.00

- क) विश्वविद्यालय द्वारा दंत चिकित्सा संकाय के स्नातकोत्तर एमडीएस के शेष पाठ्यक्रमों की फीस आयोग द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्र 1368/मप्रनिविविआ/शुस/2019 दिनांक 26/12/2018 के अनुसार रु. 5.220 लाख यथावत रहेगी।
ख) एनआरआई कोटे के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों के शुल्क निर्धारण प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति/एपीलेट आथिरिटी के निर्णयानुसार होगी।

पृ. क्रमांक 373/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2019
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 12/4/2019

सचिव

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.निविविआ आयोग, भोपाल को सूचनार्थ
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.निविविआ आयोग, भोपाल को सूचनार्थ
3. गार्ड फाईल।

सचिव